TOPIC — **Trade Reforms in India**

Dr Kumari Manju
H.O.D. Economics

P.G. IInd Sem
18-20

1991 के बाद (यानि Economic Reforms के बाद) भारत सरकार ने विदेशी व्यापार क्षेत्र में खुलेपन की नीति अपनाई और व्यापार के क्षेत्र में व्यापक रूप से उदारीकरण प्रदान किये। उदारीकरण करने उद्देश्य से सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण उदारीकरण कदम (और उसके बाद) जुलाई 1991 में रुपये का अवमूल्यन, रुपये की पहले व्यापार पर और उसके बाद सम्पूर्ण चालू खाते पर परिवर्तनीयता, आयात शर्तों का उदारीकरण, सीमाशुल्क दरों में भारी कटौती, कई वस्तुओं को खुले आयात करने की अनुमति, इत्यादि।

1991 में विदेशी व्यापार में सुधार तथा उदारीकरण के कारण व्यापार क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप अन्तर्मुखी नीति (inward oriented policy) के स्थान पर अब बाह्य उन्मुख नीति (outward oriented policy) को अपनाया जा रहा है। उदारीकरण के बाद भारतीय व्यापार में तेज वृद्धि हुई है। 1990-91 में कुल व्यापार की मात्रा 42.2 बिलियन डालर थी।

सुधार-अवधि में भारत के विदेशी व्यापार के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य निम्न-लिखित हैं:- (1) 'खुलेपन' नीति के कारण: व्यापार क्षेत्र के व्यापक उदारीकरण तथा खुलेपन की नीति के कारण 1991 के बाद सुधार अवधि में भारत के व्यापार-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में सुधार आया। निर्यात-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात जो 1970 के दशक में 4.5 प्रतिशत तथा 1980 के दशक में 4.6 प्रतिशत था 1990 के दशक में बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गया। 2015-16 में यह और 1990-91 से 1999-2000 के बीच बढ़कर 12.8 प्रतिशत हो गया। आयात-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात जो 1970 के दशक में 5.3 प्रतिशत तथा 1980 के दशक में 7.2 प्रतिशत था, 1990 के दशक में 9.3 प्रतिशत हो गया। 2015-16 में यह और बढ़कर 19.1 प्रतिशत हो गया। ~~आयात सकल घरेलू उत्पाद अनुपात~~ सुधार-अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के खुले हो जाने यह तथ्य 1991 के बाद की सुधार-अवधि में पहली अवधियों की तुलना में "भारत के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ संबंधों में व्यापक परिवर्तन का द्योतक है।"

(2) निर्यात-आयात अनुपात जो 1980 के दशक में 64.0 प्रतिशत था, जो 1990 के दशक में बढ़कर 84.9 प्रतिशत हो गया।

(3) 1980 की दशक की तुलना में, 1990 के दशक में निर्यात और आयात संवृद्धि दरों में वृद्धि हुई। 1980 के दशक में निर्यात संवृद्धि दर 8.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष से बढ़कर 1990 के दशक में 8.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा 2000-01 से 2015-16 की अवधि में 11.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो गयी। आयात संवृद्धि दर 1980 के दशक में 7.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष से बढ़कर 1990 के दशक में 9.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा 2000-01 से 2015-16 की अवधि में 13.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो गई।

विदेशी व्यापार नीति 2004-09 की प्रमुख विशेषताएं:

(1) नीति की घोषणा 31 अगस्त 2004 को की गई थी। (2) 2009 तक विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1.5 प्रतिशत करने का लक्ष्य, (3) निर्यात को रोजगार परक बनाने के लिए पाँच परम्परागत निर्यातों - कृषि, हस्तशिल्प, हथकरघा, चमड़ा एवं फुटवियर तथा रत्नों एवं आभूषणों के निर्यात पर विशेष फोकस, (4) निर्यात लागत कम करने के लिए उत्पाद निर्यात को सेवा कर से मुक्ति। (5) कृषिगत उपजों के निर्यात संवर्धन हेतु 'विशेष कृषि उपज योजना'। (6) सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 'सर्व्ड फ्राम इंडिया (Served from India) योजना'। (7) सेवाओं के लिए नई 'सेवा निर्यात संवर्धन परिषद' का गठन। (8) मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की तर्ज पर 'फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोनों' (Free Trade And Wearhousing Zones) की स्थापना। (9) निर्यातोन्मुखी इकाइयों को स्टार निर्यात घराने के दर्जे हेतु कारोबारी सीमाओं में कटौती। (10) निर्यातकों के लिए Target-Plus प्रोत्साहन की योजना। (11) EPCG (Export Promotion Capital Goods) योजना का उदारीकरण।

(12) DEPB (Duty Entitlement Pass Book) योजना।(13) सेवाओं के निर्यातकों के लिए शुल्क मुक्त आयात की सुविधा।(14) बीजों के आयात की शर्तों में उदारता।(15) पुरानी मशीनों के आयात पर प्रतिबंध की समाप्ति।

विदेश व्यापार नीति 2009-14 ऐसे समय में घोषित किया गया जब करीब 10 महीनों से निर्यातों में गिरावट रही। यद्यपि नीति में वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए किसी लक्ष्य के लिए उल्लेख नहीं किया गया है। नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य 2020 तक वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाकर दुगुना करना है।

विदेश व्यापार नीति 2009-14 के मुख्य बिन्दु:

(1) 2014 तक देश के निर्यात को दुगुना करना। (2) मार्च 2011 तक निर्यात को 200 अरब डालर पहुँचाना। (3) शुल्क हकदारी पासबुक योजना दिसम्बर 2010 तक बढ़ाई गयी। (4) निर्यातकों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान की योजना 31 मार्च, 2010 तक बढ़ाई। (5) निर्यातोन्मुख और एस टी पी आई इकाइयों को अब 2010-11 में भी आयकर में छूट जारी रहेगी। (6) ई पी सी जी योजना का लाभ। (7) फोकस बाजार स्कीम के तहत 26 नए बाजार शामिल, प्रोत्साहन भी बढ़ाया गया। (8) समुद्री उत्पाद, रत्न आभूषण क्षेत्र के निर्यातकों के लिए विशेष प्रोत्साहन। (9) चाय निर्यातकों को मूल्य वर्द्धन की शर्तों में ढील। (10) समुद्री उत्पाद औषधि, हस्तकरघा क्षेत्र के लिए भी रियायतें। (11) निर्यात करने वाली इकाइयों को अपने उत्पादों का 90 फीसदी हिस्सा घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति। (12) निर्यातकों की डॉलर ऋण की चिन्ताओं के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति का गठन।

उपर्युक्त विदेशी व्यापार नीति के संदर्भ में जून 2012 में विदेशी व्यापार के संवर्धन हेतु अनेक कदम उठाए गए इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(1) औद्योगिक इकाइयों की क्षमता में पर्याप्त विस्तार हेतु विशेष रूप से ~~उर्वरक हेतु~~ उर्वरक इकाइयों में आधारभूत आयात करने में 5 प्रतिशत की कमी। (2) मंडियों या भंडारण निगमों में मशीनीकरण व्यवस्था को पुख्ता करने हेतु आयात करों में छूट (iii) कोयला खनन वाली परियोजना के लिए आधारभूत आयात कर में पूरी छूट। (iv) ऊन के धागे को निष्पादित करने तथा स्वचालित करघों के आयात कर में छूट। (v) लौह धातु के पैलट संयंत्र के पर्याप्त विस्तार हेतु आयात की जाने वाली मशीनों पर आयात कर 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया। (vi) 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाली सोने की छड़ों तथा सिक्कों एवं प्लेटिनम के आधारभूत निर्यात कर को 2 से 4 प्रतिशत किया। इसके अतिरिक्त 2012-13 में निम्न अतिरिक्त कदमों की घोषणा की गई (1) निर्यात बढ़ाने हेतु व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा (2) ग्रीन प्रोडक्ट्स में विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन का निर्णय लिया गया (3) ज्ञान प्रधान क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने तथा इनमें प्रौद्योगिकी के सुधार हेतु प्रोत्साहन।

2013-14 के लिए अनुपूरक विदेशी व्यापार नीति: 2013-14 के लिए वार्षिक अनुपूरक विदेश व्यापार नीति की घोषणा ऐसे समय में की गई जब देश के विदेशी व्यापार में शिथिलता आई। देश में निर्यातों को बढ़ावा देने के वास्ते विशेष प्रावधान अनुपूरक नीति में किए गए हैं वे निम्न मुख्य हैं:- (1) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones-SEZs) में निवेशकों की रुचि बढ़ाने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। आई टी सेक्टर के नियमों में उदार कदम परिणामों को देखते हुए इस क्षेत्र के SEZs के लिए अतिरिक्त रियायतें दी गई हैं। (2) निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (Export Promotion Capital goods-EPCG) योजना के दो प्रकार - कुछ क्षेत्रों के लिए शून्य प्रशुल्क ई पी सी जी तथा अन्य सभी क्षेत्रों के लिए 3 प्रतिशत प्रशुल्क वाली EPCG योजना चालू थीं। निर्यातकों की माँग के चलते अब सभी क्षेत्रों के लिए यह योजना शून्य प्रशुल्क वाली बना दी गई है। (2) फोकस मार्केट स्कीम (FMS) फोकस प्रोडक्ट स्कीम (FPS) व विशेष कृषि ग्रामीण उद्योग योजना (VKGUY) के तहत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के उपयोग के दायरे का विस्तार किया गया। (3) फोकस मार्केट स्कीम के तहत नार्वे तथा स्पेशल फोकस मार्केट स्कीम के तहत ब्रूसेल्स को शामिल किया गया है। (4) फोकस प्रोडक्ट स्कीम का विस्तार करते हुए इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोनिक्स तथा टेक्सटाइल्स सेक्टर्स के लगभग 126 अन्य उत्पाद इसमें शामिल किए गए हैं। (5) गुजरात के मोरबी को सिरेमिक टाइल्स के लिए तथा हरियाणा के गुड़गाँव को वस्त्रों के निर्यात के लिए 'टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस' की सूची में जोड़ा गया। (6) विशेष कृषि ग्रामीण उद्योग योजना के उस प्रावधान को हटाया गया है जिसके

चलते इस योजना का लाभ सीमित हो रहा था। (14) Status Holder Incentive Scheme स्टेटस होल्डर इंसेंटिव स्कीम का निर्माण 2012-13 के लिए किया गया था। 2013-14 में यह समाप्त हो जाएगी।

विदेश व्यापार नीति 2015-20: देश के वस्तुगत एवं सेवाओं के निर्यातों को गति प्रदान करने तथा वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विदेश व्यापार नीति की घोषणा सरकार ने 1 अप्रैल 2015 को की है। इस नीति के अधीन मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया व डिजीटल इंडिया को भी प्रोत्साहित करने के उपाय किए गए हैं। निर्यातों के वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन हो सकेगा। नई नीति के तहत किए गए उपायों की मदद से 2020 तक देश के निर्यात को 900 अरब डालर के सालाना स्तर पर ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से बढ़कर 3.5 प्रतिशत तक हो सकेगी।

विदेश व्यापार नीति 2015-20 के मुख्य बिन्दु: (1) वस्तुगत निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए पहले से चल रही पाँच योजनाओं - फोकस प्रोडक्ट स्कीम, मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस मार्केट स्कीम, एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्कीम, VKGUY का नई प्रस्तावित एमईआईएस (MEIS) योजना में विलय। (2) अधिसूचित उत्पादों के अधिसूचित देशों में निर्यात के लिए MEIS के तहत देय पुरस्कार निर्यात के Fob मूल्य की प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में विदेशी मुद्रा में ही देय होगा। सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सर्व्ड फ्राम इंडिया स्कीम (SFIS) के स्थान पर नई सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (SEIS) लाई गई। नई SEIS योजना Indian service providers की बजाय भारत के सेवा प्रदाताओं (Service Providers Located in India) पर लागू होगी। इसके तहत देय पुरस्कार राशि निर्धारित सेवा से अर्जित निवल विदेशी मुद्रा के आधार पर देय होगी।

(3) पूंजीगत समान वस्तु उत्पादों के ही खरीदने की स्थिति में ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात दायित्व 90 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत किया गया। इससे Make in India को बढ़ावा मिलेगा। (4) पूंजीगत समान के देश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ईपीसीजी Authorization योजना के तहत किए गए आयातों को एन्टी डंपिंग ड्यूटी Safeguard Duty तथा Transitional products specific safeguard duty से छूट दी गई है। (5) कारोबारी सुधारें आसान करने के लिए अधिकांश आवेदन व अन्तर मंत्रालय विचार-विमर्श 24x7 घंटे ऑनलाइन करने की सुविधा। (6) Export oriented Unit तथा निर्यात गृहों के लिए विशेष सुविधाएं। (7) Advance Authorization के तहत किए गए आयात भी अब ट्रांजिशनल प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी। (8) कालीकट एयरपोर्ट (केरल) तथा अराकोणम आईसीडी (तमिलनाडु) भी अब आयात तथा निर्यात के लिए पंजीकृत पोर्ट्स के रूप में अधिसूचित। (9) 33 शहरों का टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में अतिरिक्त रूप से अधिसूचित किए गए हैं। अन्य शहर विशाखापत्तनम तथा भीमावरम (आन्ध्र प्रदेश) इस सूची में हैं। (10) 33 सबसे कम विकसित देश (LDCs) के लिए ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रिफ. रेंस (DFTP) स्कीम को अब विदेश व्यापार नीति के तहत अधिसूचित किया गया। (11) निर्यात के मामले में बेहतर निष्पादन करने वाली इकाइयों को Export House, Star Export House, Trading House, Star Trading House, Premier Trading House, आदि स्टेटस प्रदान किए जाते थे। इस वर्गीकरण को समाप्त कर अब इन्हें One, Two, Three, Four, Five Star Export House के स्टेटस दिए जाएंगे। इसके लिए निर्यात प्राप्तियों का रुपये के स्थान पर डालर मूल्य में आकलन होगा। चालू वर्ष व पिछले 2 वर्षों में 30 लाख डॉलर की निर्यात प्राप्तियों पर One star, 250 करोड़ डॉलर की निर्यात प्राप्तियों पर Two star, 10 करोड़ डॉलर की निर्यात प्राप्तियों पर Three star, 50 करोड़ डॉलर की निर्यात प्राप्तियों पर Four star तथा 200 करोड़ डॉलर की निर्यात प्राप्तियों पर Five star Export house का दर्जा।

Scanned with CamScanner